

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 2(1)नविवि/II/2024-12352

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.03.2024 एवं 18.03.2024 की निरन्तरता में विभाग की लेखा शाखा में पदस्थापित कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजन अग्रिम आदेशों तक निम्नानुसार किया जाता है:—

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	विवरण
1	श्री नत्थी सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम	जयपुर मेट्रो से संबंधित समस्त कार्य। आयोजना विभाग/वित्त विभाग एवं वित्त आयोग से संबंधित पत्राचार। अंक मिलान कार्य (महालेखाकार कार्यालय एवं कोषालय)। विभागीय लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य। BRTS & JCTSL से संबंधित कार्य। विभागीय बजट एवं विभागीय राजस्व से संबंधित समस्त कार्य। समस्त विकास प्राधिकरण (जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर एवं बीकानेर), राजस्थान आवासन मण्डल, RERA एवं नगर नियोजन विभाग से प्राप्त होने वाले लेखा संबंधी समस्त कार्य (यथा-निर्माण कार्यों से संबंधित कार्य, बजट स्वीकृति, ड्राफ्ट पैरा, ऑडिट पैरा, विशेष जांच व संस्थापन संबंधी कार्य)। विधानसभा की समितियों पर कार्यवाही (यथा लोक सेवा समिति, पीएसी, राजकीय उपक्रम व अन्य समितियों संबंधी कार्य)। अन्य विविध कार्य जो आवंटित नहीं है एवं निर्देशित कार्य (कनिष्ठ लेखाकार के माध्यम से)।
2	श्री रविन्द्र प्रजापत, कनिष्ठ लेखाकार	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की अनुपालना राजस्थान विधानसभा सचिवालय को नियत समय में भिजवाये जाने से संबंधित कार्य। ऑडिट कमेटी की बैठक से संबंधित कार्य। नगर विकास न्यास, अलवर/भीलवाड़ा/पाली/जैसलमेर एवं बाड़मेर से प्राप्त होने वाले लेखा संबंधी समस्त कार्य

		(यथा—निर्माण कार्यो से संबंधित कार्य, बजट स्वीकृति, ड्राफ्ट पैरा, ऑडिट पैरा, विशेष जांच व संस्थापन संबंधी कार्य)। अन्य निर्देशित कार्य।
3	सुश्री चेतना जांगिड़, कनिष्ठ लेखाकार	नगर विकास न्यास, आबू/श्रीगंगानगर/चित्तौड़गढ़/सीकर एवं सवाईमाधोपुर से प्राप्त होने वाले लेखा संबंधी समस्त कार्य (यथा—निर्माण कार्यो से संबंधित कार्य, बजट स्वीकृति, ड्राफ्ट पैरा, ऑडिट पैरा, विशेष जांच व संस्थापन संबंधी कार्य)। RUDF से संबंधित कार्य। महालेखाकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कार्य। विभाग में प्राप्त होने वाले समाचार पत्रों से संबंधित बिलों का कार्य। अन्य निर्देशित कार्य।

इसके अतिरिक्त उक्त कनिष्ठ लेखाकार अपनी समस्त पत्रावलियां सहायक लेखाधिकारी—प्रथम के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(राकेश कुमार—I)
शासन उप सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सहायक, शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. संयुक्त/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
7. सहायक शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)/प्रोगामर /अनुभागाधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
8. संबंधित कार्मिक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—तृतीय